

२२.५१४

पत्रावली राजस्व लोक अदालत  
केट वर डी ९ प्र पेश। के राजा के लिये  
से लिये जा कर शामिल पत्रावली  
विषय था।

पत्रावली के राजा के लिये  
से वास है।

२२.५१४  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हमीरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा  
पौठसीन अधिकारी:-रामावतार मीणा (आर०ए०एस०) न्याय सहायक डा० २२७८८ वरडाद

मुकदमा संख्या:- 35/18

1. श्रीमती रामकन्या जगदीश्वर लाल जाट नि. वरडाद
2. श्रीमती लाला देवी गणपत लाल जाट — " —

—प्रार्थीगण

- बनाम
1. श्रीमती लाला देवी गणपत लाल जाट नि. वरडाद
  2. श्रीमती लाला देवी गणपत लाल जाट — " —
  3. श्रीमती लाला देवी गणपत लाल जाट — " —
  4. श्रीमती लाला देवी गणपत लाल जाट — " —
  5. श्रीमती लाला देवी गणपत लाल जाट — " —
  6. श्रीमती लाला देवी गणपत लाल जाट — " —
  7. श्रीमती लाला देवी गणपत लाल जाट — " —

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:- 22.5.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम वरडाद पटवार हल्का वरडाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 162

कुल किता 1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 7.5.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रार्थी को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।


:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वरडाद पटवार ह० वरडाद तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 162


कुल किता 1 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु नैसर्गिक निरीक्षक वरडाद को 500/-रु० (अक्षरे- पाँच सौ रुपये

)

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
पीठासीन उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत हमीरगढ  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हमीरगढ

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं हमीरगढ  
पदेन सहायक कलक्टर  
हमीरगढ